


अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या- 19/2021 - (11)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
03/09/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0नि0-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा-.....<u>241 खो 91C</u>..... थाना नं0-<u>47</u>..... खाता संख्या-<u>69</u>..... प्लॉट संख्या-<u>235, 187</u>..... रकबा-..... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-<u>1</u>..... के पृष्ठ संख्या-<u>138</u> पर जमाबंदी रैयत <u>बाबू लाल प्रहारी पिता - पु (7) रहने</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती हैं, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- 19/09/2020..... को उपस्थापित करें।</p>	


 अंचल अधिकारी
 गोविन्दपुर

19/9/2020

अभिलेख उपस्थित। नोटिस नामिका प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमादारी
रखत/जमादारी रखत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज
जमादारी नहीं किया गया और न ही अलग पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमादारी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम
1950 की धारा 4(1) के तहत जमादारी को रद्द करने हेतु खमूशंसा की जाती है। अगले
कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

19/9/20
अचल अधिकारी
गोविन्दपुर

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जॉच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- बाबुरान मन्नी
पि०पुरन मन्नी
2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>साधौवा</u>	<u>५७</u>	<u>६९</u>	<u>२३५, १८७</u>	
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या.....१..... पृष्ठ सं०-.....१३९..... पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- १९६५-६६
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- जोर आवार (पार)
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- अपर दफ्तार
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण /अवैध भूबन्दोवस्ती) - अपर दफ्तार
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जॉच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) पैषी ३ ले
अपर दफ्तार
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

कम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
-----------	------------------	------------------	------------

अं०अ०/अ०क्र/७१०

उपरोक्त भूमि सेधारित पैषी के अनुसार जोर आवार खाते को प्रमाणित है।
 सेधारित पैषी में जमाबंदी संख्या १३९ दर्ज है। साधारण खोलम में
अपर दफ्तार के ३१०१० १९६ (१) १९६५-६६ अंकित है। उक्त जमाबंदी
 संदेहास्पद प्रमाणित होता है।

ज्ञात, जमाबंदी रद्द / निष्क्रिय करण हेतु अग्रतः
 कार्रवाई को आदेशित है।

मन्दी